फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : सुश्री प्रिया नाबालिग जरिये श्री देवीलाल बनाम विपक्षी श्रीमती आशा बाई व अन्य
किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या 99/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक 20.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। समय सायं 5 PM हो चुका है। अत अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनागस्त भूमि के खातेदार मेरा पिता नवला का निधन हो गया जिसके उपरांत उनकी पत्नी एवं तीन पुत्र प्रार्थी संख्या 2 देवीलाल, विपक्षी संख्या 4 दलीचन्द एवं मिदुलाल एवं दो पुत्रीया हुली बाई एवं लीला बाई हुए। मिदुलाल का निधन हो जाने से उसकी पत्नी विपक्षी संख्या 1 आशा बाई एवं दो पुत्रीया कोमल एवं प्रार्थी संख्या 1 प्रिया वारिसान है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मूल वाद में प्रार्थी संख्या 2 व विपक्षी संख्या 4 के भाई स्व मिदुलाल की नाबालिग पुत्री प्रार्थी संख्या 1 प्रिया बचपन से ही प्रार्थी संख्या 2 देवीलाल के घर पर रह रही है जिसका पालन पोषण पढाई लिखाई सम्पूर्ण खर्चा प्रार्थी संख्या 2 देवीलाल द्वारा किया जा रहा है प्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रिया को अपनी स्वय की पुत्री मानकर उसका लालन पालन किया जा रहा है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार देवीलाल ही वर्तमान में प्रार्थी संख्या 1 प्रिया के संरक्षक है और इस कारण से देवीलाल जी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रिया के संरक्षक के रूप में उसके हिस्से की सम्पति की रक्षा के लिए पेश किया है। विपक्षी संख्या 1 आशा बाई बिना किसी वाजिब जायज जरूरत के प्रार्थना पत्र के कलम न. 2 में वर्णित आराजीयात को कलम न. 3 में वर्णित प्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से को भी अपनी भूमि के रूप में अपने हिस्से की भूमि बताकर भूमि को बेचान करने पर आमादा है जिससे विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि परिशिष्ट (क) की आराजी में प्रार्थी संख्या 1 खातेदार हैं जिसके संरक्षक आशा बाई है तथा परिशिष्ट (ख), (च) में प्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 2 खातेदार है एवं परिशिष्ट (ग), (घ) में मेरा पुत्र नवला खातेदार हैं जो पक्षकारान के मूल पुरूष है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी द्वारा कथन कहा कि विपक्षी प्रार्थी संख्या 1 के हिस्से को बेचने पर आमादा हैं जिससे विपक्षी को पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सालेडा पटवार हल्का सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2071–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या 305 की आराजी नम्बर 1843, 1847, 1848, 1850, 2307 किता 5 रकबा 1.5200 है. भूमि, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 306 की आराजी न. 1344, 1345 रकबा 0.2200 है. भूमि, परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 280 की आराजी न. 1329, 1330 किता 2 रकबा 0.0300 है. भूमि, परिशिष्ट (घ) की खाता संख्या नया 281 की आराजी न. 1331, 1332, 1334 किता 3 रकबा 0.1200 है. भूमि, परिशिष्ट (च) की खाता संख्या नया 519 की आराजी न. 1338, 1339, 1845, 1846, 1851, 2305, 330 किता 7 रकबा 2.2500 है. भूमि में विपक्षी मूल वाद के निस्तारण होने तक प्रार्थी संख्या 1 प्रिया के हक हिस्से की भूमि तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:43:51 IST
Reason: SelfAttested